देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115
August 2023
Vol.-18, Issue-2(3)

Impact Factor
7.523

Bohal Shodh Aanjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

प्रधान सम्पादक :
डॉ. तपस्या चौहान

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

Scanned with OKEN Scanner

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 18 **ISSUE-2 (3)** **(अगस्त 2023)** **ISSN : 2395-7115**

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

प्रधान सम्पादक :

डॉ. तपस्या चौहान

15/167 सोरों कटरा , शाहगंज,

आगरा - 282010, उत्तर प्रदेश।

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल
विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

20.	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास का समग्र अध्ययन	समित कुमार सुडा, डॉ. महेन्द्र कुमार	127–130
21.	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार पर सोशल नेटवर्किंग के प्रभाव का अध्ययन	संगीता, डॉ० सीमा शर्मा	131–136
22.	दलित स्त्री अस्मिता और सुशीला डाकभौरे की कविता	डॉ. एन.आर. सजिला	137–143
23.	मल्लिका सेनगुप्तेर कविता: प्रसङ्ग नारीचेतनावाद	ड. उत्तम पालुया	144–152
24.	रणेन्द्र के 'गायब होता देश' में आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व का संघर्ष	आशारानी सुन्डी	153–159
25.	शिक्षा एवं समाज में मीडिया की भूमिका	DEEPA BHARTI	160-164
26.	అక్కినపల్లి సుబ్బారావు నవలల్లో మూఢనమ్మకాలు వాటి ప్రభావాలు	యం. వెంకటేష్ నాయక్	165–167
27.	DISCERNMENT OF SPIRITS IN CHRISTOPHER MARLOWE'S DOCTOR FAUSTUS	Anil Kumar Tiriya	168-172
28.	A STUDY OF GENERATIONAL CONFLICTS IN STORIES AND NOVELS OF JHUMPA LAHIRI	Jyoti Soni	173-178
29.	वैश्वीकरण से जनजातीय समाज में सामाजिक परिवर्तन	ओमप्रकाश जारोडिया	179–181
30.	रेगुलेटिंग एक्ट का भारतीय प्रशासन पर प्रभाव : ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में	Dr. Vikram Singh Deol	182–184
31.	जनसंख्या शिक्षा के प्रति संचेतना : स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के विशेष सन्दर्भ में	नारायण दास वैष्णव	185–188
32.	राजा + इन्द्र काव्य में नारी चेतना	डॉ. राजेन्द्र	189–192
33.	भारतीय साहित्य में स्त्रियों की भूमिका	सुधीर सिंह	193–197
34.	मृदुला गर्ग के समाज शास्त्रीय अध्ययन के सन्दर्भ में नाटकों का योगदान	रीना राठौर, डॉ. आदित्य कुमार गुप्ता	198–202
35.	प्राचीन भारतीय समाज में वैवाहिक मान्यता की स्थिति एवं विवाह के प्रकार	सचिन	203–207
36.	അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഭിന്നശേഷി ജീവിതവും മാധ്യമ ധർമ്മവും- 'കൃഷ്ണഗാഥ 'യെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വിശകലനം	Tinu Alex. K	208-213
37.	हरियाणा में प्रमुख फसलों के उत्पादन तथा क्षेत्र का बदलता स्वरूप	सरिता देवी, जीरज	214–218
38.	Women Empowerment through Social Media especially YouTube : with special reference to Folk Singers	Dr Shashi Punam, Ms Anjana Gautam	219-230
39.	Cyber Terrorism– An emerging military threat	Dr. Makhan Singh Manjhu	231-236

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2023 Page No. : 160-164

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

शिक्षा एवं समाज में मीडिया की भूमिका

DEEPA BHARTI

(NET) Ph.D Scholor

Department of Home Science, PURNEA UNIVERSITY, PURNEA (BIHAR)

मीडिया की उत्पत्ति वस्तुतः मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति का हीं परिणाम है मानव स्वभाव से हीं जिज्ञासु प्राणी है तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को जानना चाहता है। जिसे व्यापक अर्थों में सूचना शब्द से परिभाषित किया जा सकता है। सूचनाओं को संप्रेषित करने के माध्यम की अनिवार्यता हीं मीडिया शब्द को जन्म देया है।

भारतीय संविधान में प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु इसे आर्टिकल 19(1) के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही रखा गया है। परंपरागत अर्थों में मीडिया के कार्य को तीन बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है :–

- सूचना देना
- मनोरंजन प्रदान करना एवं
- शिक्षा देना।

सूचना देना :–

सूचना देना मीडिया का पहला महत्वपूर्ण कार्य है। सूचना ही शक्ति है, सूचना के इस बढ़ते प्रभाव की वजह से आज के विकसित समाज को "सूचना का समाज" कहा जाने लगा है, आज वास्तव में ज्ञानी वही है, जिसके पास सूचनाओं का अंबार है।

शिक्षा देना :–

शिक्षा देना मीडिया का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। यहां शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ज्ञान के समस्त रूप शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा मीडिया द्वारा संप्रेषित होने वाला प्रत्येक संदेश चाहे वह सूचना के रूप में हो या मनोरंजन के लिए उसमें शिक्षा का तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य होता है।

मनोरंजन प्रदान करना :–

मीडिया का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, मनोरंजन प्रदान करना वास्तव में मनोरंजन निष्क्रिय भाव नहीं है, बल्कि रचना, अभिव्यक्ति क्रियाओं में निहित है, प्रत्येक संचार माध्यम की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारा मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में सूचनाओं के पहुंच एवं तीव्रता को अति विस्तृत कर दिया है और इसी अनुक्रम में मीडिया की भूमिका में भी बहुआयामी परिवर्तन हुए हैं। जनमत पर आधारित आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में मीडिया की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है।

वर्तमान में संचार मीडिया शिक्षा एवं हमारे सामाजिक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका नि रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका :-

वर्तमान समय में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्मो का छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। शिक्षकों, प्रोफेसरों एवं छात्रों के बीच यह काफी लोकप्रिय हो गया है। छात्र के लिए सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सोशल मीडिया उनके लिए जानकारी को साझा करने, जवाब प्राप्त करने और शिक्षकों से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र और शिक्षक एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और इन प्लेटफार्म का अच्छा उपयोग करके जानकारी साझा कर सकते हैं।

आजकल कई शिक्षक एवं प्रोफेसर अपने व्याख्यानओं के लिए स्काइप, ट्विटर और अन्य मीडि प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो चैट आयोजित करते हैं। यह छात्रों के साथ–साथ शिक्षकों को भी घर बैठे कि चीज को सीखने है तथा सिखाने में सहायता प्रदान करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा को और अधि आसान एवं सुविधाजनक बनाया जा रहा है, क्योंकि हम दिन के किसी भी समय सोशल मीडिया का उपयोग क सकते हैं और कक्षा के बाद भी शिक्षक से प्रश्नों का समर्थन और समाधान ले सकते हैं, और यह अभ्यास शिक्ष को अपने छात्रों के विकास को और अधिक बारीकी से समझने में मदद करता है।

कई शिक्षक यह महसूस कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया का उपयोग उनके कार्यों को और आसान बना है। सोशल मीडिया पर आयोजित कक्षाएं और अधिक अनुशासित एवं संचारित होती है, क्योंकि वह जानते हैं हर कोई उसे देख रहा होता है। सोशल मीडिया छात्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री के माध्य से उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र वीडियो और चित्र देख सक हैं समीक्षाओं की जांच कर सकते हैं और लाइव प्रक्रियाओं को देखते हुए तत्काल अपने संदेह को दूर कर सक हैं। ना केवल छात्र बल्कि शिक्षक भी इन उपकरणों का और शिक्षण सहायता का उपयोग करके अपने व्याख्य को और अधिक रोचक बना सकते हैं। छात्र प्रसिद्ध शिक्षकों, प्रोफेसरों और विचारकों द्वारा ब्लॉक, आर्टिकल औ लेखन पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।

इस तरह अच्छी सामग्री व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकती है। इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, कि यदि बुद्धिमानी से सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए शिक्षा को और बेहतर और मजबूत स्थि किया जा सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग छात्रों को और बुद्धिमान बना सकता है। खासकर 2020 में अ वैश्विक महामारी कोविड–19 ने दुनिया भर में शिक्षा एवं शैक्षणिक प्रणालियों को प्रभावित किया कोविड–19 प्रसार को कम करने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए की कोशिश में दुनियाभर की सरकारों ने अस्थाई रू से शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया था। 30 सितंबर 2020 तक कोविड–19 महामारी से लगभग

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

1.077 बिलियन शिक्षार्थी वर्तमान में स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित थे। यूनिसेफ की निगरानी के मुताबिक लॉकडाउन का असर दुनिया की लगभग 61.6 प्रतिशत आबादी पर हुआ। महामारी के दौरान सभी कॉलेज कोचिंग विश्वविद्यालय आदि बंद कर दी गई, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन की सुरक्षा उनकी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और इस वैश्विक संकट में मीडिया ने अति महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय योगदान दिया। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे– यूट्यूब, मोबाइल ऐप, वेबीनार इत्यादि का उपयोग करके शिक्षा देने का प्रयास किया गया। इस वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई, इसके बिना विद्यालय पहुंचे छात्र–छात्राओं को घर पर ही उचित एवं उपयोगी शिक्षा प्राप्त हुई, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण एवं इसकी भूमिका अतुल्य है।

आज विश्व में भारत को जो नई पहचान मिली है, वह संचार प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति से ही है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में किए गए संदेशों को अधिक सरल, सहज एवं रुचि कर बनाना आवश्यक है, यह तभी संभव है, जब सूचना एवं संचार तकनीकी की डिजिटल भाषाओं को उसी क्षेत्र में भाषा के अनुरूप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाए। जिससे देश के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके। विकास सहायक संचार समाज के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा के प्रसार, समाज, ज्ञान, जिज्ञासा एवं इच्छा इत्यादि को निरंतर और व्यापक स्तर पर ले जाती है, जो गरीबी उन्मूलन में सहायक है। इसके साथ–साथ हमें हमेशा यह भी ज्ञात होना चाहिए, कि भारत गांवों का देश है, और यदि गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे तो देशक भी भी विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है।

वर्तमान समय में इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है, कि गांव अब शहरों से पीछे नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण है–संचार माध्यम (मीडिया)। संचार माध्यम जहां शहरों को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वही गांव को विकसित करने तथा लोगों में भी जागरूकता लाने का कार्य किया कर रहा है। गांव में सुविधाओं को पहुंचाने में संचार प्रौद्योगिकी एक उपयोगी उपकरण सिद्ध हो रहा है। जहां गांव के लोग पहले सुविधाओं से वंचित रह जाया करते थे, वही संचार मीडिया ने उन्हें एक नया आयाम एवं दिशा प्रदान किया है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पुलिस प्रशासन आदि को संचार माध्यम से जोड़कर ग्रामीणों को सुविधा पहुंचाया जा रहा है।

गरीबी उन्मूलन में मीडिया की भूमिका अत्यधिक प्रभावी है। मीडिया के द्वारा रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि संचार माध्यमों द्वारा लोगों में शिक्षा सूचना और चेतनपरक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया लोगों के जनजीवन में गुणवत्ता में सुधार करके नागरिकों को एक स्वस्थ समाज का निर्माण करके उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाकर, देश के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करने तथा सभी स्तरों पर अपने दायित्वों का निर्वहन एवं जागृत करने में मीडिया की भूमिका अहम प्रभावी है।

आज हम सूचनाकृत के दौर में से गुजर रहे हैं, तथा डिजिटल इंडिया (Digital India) की परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से अग्रसर हैं। वर्तमान सरकार का भी यही लक्ष्य है, कि सूचना एवं संचार तकनीकी दृष्टि को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, जिससे भारत स्पष्ट रूप से विश्व के साथ जुड़ सके और वैश्विक गांव की कल्पना को साकार कर सकें।

Scanned with OKEN Scanner

समाज में मीडिया की भूमिका :-

मीडिया संचार का एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा हम समाज में घटित हो रही किसी भी घटना, किसी भी प्रकार की जानकारी, शिक्षा एवं किसी भी प्रकार का विज्ञापन के प्रचार–प्रसार को बहुत ही जल्दी और सहजता से समाज के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी के विकास से पहले "मीडिया" शब्द का प्रयोग केवल किताबों, समाचार–पत्रों जिसे हम प्रिंट मीडिया के रूप में जानते हैं, के लिए होता था परंतु अब टेलीविजन, फिल्में, रेडियो तथा इंटरनेट आदि भी मीडिया के प्रमुख अंग बन गए हैं। पहले जब मीडिया के यह सभी आधुनिक साधन नहीं थे, तो केवल प्रिंट मीडिया का ही उपयोग किया जाता था लोग साहित्य लेखन के द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट किया करते थे। जैसे कि भारत की आजादी के लिए चलाए जा रहे हैं आंदोलनों को सफल बनाने के लिए एवं इन आंदोलनों से लोगों को जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर कई समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का संपादन किया जाता था। इस तरह भारत की स्वतंत्रता में मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत को कोरोना वायरस महामारी से बाहर निकाला एवं पोलियो ग्रसित देशों की सूची से भारत को बाहर किया। इसके साथ ही "एड्स" जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को मीडिया की मदद से ही दूर किया गया। इसके साथ–साथ हम यह भी जानते हैं कि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। और आज की मीडिया से हमारे देश के किसानों को भी बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि टेलीविजन में अनेकों ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को खेती करने की नई एवं वैज्ञानिक तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। जिसका सीधा असर किसानों के फसल उत्पादन क्षमता पर पड़ रहा है।

आज के समय में मीडिया महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय, भेदभाव, दुर्व्यवहार इत्यादि को दूर करने में मीडिया वरदान के रूप में साबित हो रहा है। महिलाएं अपने ऊपर हो रहे किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को, सोशल मीडिया का उपयोग करके देश तथा समाज के सामने अपनी आवाज उठा सकती है, और अपने हक एवं अधिकार के लिए लड़ सकती है। इस तरह मीडिया आज हमारे समाज में सभी क्षेत्रों में बहुत ही बड़ा एवं महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान समय में मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। मीडिया के वजह से ही आज समाज में पुराने विचारधाराओं के लोगों की मानसिकता बदली है और लोग आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुए हैं, जिससे हमारा देश तरक्की की राह पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपरोक्त कथनों से यह साबित किया जा सकता है, कि शिक्षा एवं समाज किसी भी क्षेत्र में मीडिया का अति महत्वपूर्ण योगदान है, और इसके अतुल्य योगदान से नकारा नहीं जा सकता है।

संदर्भ :-

1. वर्मा, ए. के. : प्रयोगात्मक A.A.C.R-2, रायपुर सेंट्रल बुक हाउस।
2. आशारानी वोहरा : भारतीय नारी दशा व दिशा, नेशनल, नई दिल्ली।
3. http://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news/analysis/nso-report-shows-stark-digital-divide-affects-education.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

9 772395 711007

Impact Factor
7.523

ISSN : 2395-7115
दिसम्बर 2023
Vol.-18, Issue-6(1)

Bohal Shodh Ranjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

सम्पादक : डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट

Publisher :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. नरेश सिहाग	8–8
2.	भारतीय धर्मों में पर्यावरण संरक्षण	Dr. Sandeep Kumar	11-18
3.	हिन्दी कथा साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप	डॉ. ज्योति पटेल	19–22
4.	केन्द्र में गठबन्धन की सरकारें व क्षेत्रीय दलों की भूमिका	डॉ. प्रेमवीर गोदारा	23–25
5.	ग्रामीण समुदाय में पंचायतीराज	डॉ. दिनेश कुमार चौधरी	26–30
6.	ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਹ:ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ	ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.(ਡਾ.) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ,	31–37
7.	<u>ਸ੍ਰੀ ਗਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤਰਣ (ਲੈਕਿਕ ਅਤੇ ਪਰਾਲੈਕਿਕ)</u>	ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ	38–46
8.	संजय कुंदन की कहानियों में शहरी जीवन की अभिव्यक्ति	डॉ. राजेश राव	47–51
9.	हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद : सामाजिक यथार्थ के विशेष संदर्भ में	विकास साव	52–56
10.	उत्तराखण्ड जौनसारी महिलाओं का संस्कृति और परम्परा के संरक्षण में योगदान	मंजीता रतूड़ी, डॉ. मेघा पुरोहित अत्रे	57–60
11.	रामदरश मिश्र की कविताओं में प्रकृति और मानव मूल्य	डॉ. बेबी सुमंगला पी.वी.	61–64
12.	ASTUDY ANALYSING THE IMPACT OF PHYSICAL LAYOUT OF CLASS ROOM ON THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF THE STUDENTS STUDYING IN THE ELEMENTRY SCHOOLS IN URBAN AND RURAL AREAS OF SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN	Dr. Richa Diwan	65-72
13.	'સ્વામી સહજાનંદના વચનામૃતોમાં ભારતીય દર્શન પરંપરાનો ઉદ્‌ઘોષ'	અંજનાબેન એન. પરમાર	73–80
14.	श्रीगंगानगर, राजस्थान के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की अर्द्धअवकाश के दौरान पलायन (भाग जाने) की प्रवृति का अध्ययन	Dr. Gurcharan Singh	81-88
15.	उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का जीव विज्ञान के प्रति घटते रूझान का अध्ययन	Dr. Dinesh Kumar Budania	89-95
16.	समकालीन कविता में भारतीय और मानवीय मूल्य-बोध	डॉ. मोहन लाल जाट	96–104
17.	योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी की भूमिका	दुर्गा प्रसाद	105–108
18.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति	DEEPA BHARTI	109-112

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha
December 2023

ISSN : 2395-7115
Page No. : 109-112

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

DEEPA BHARTI

(NET) Ph.D Scholor, Department of Home Science, PURNEA UNIVERSITY, PURNEA (BIHAR)

भारत एक गांवों का देश है, जिसकी आत्मा गांवों में वास करती है, देश की कुल जनसंख्या का तीन चौथाई भाग गांव में निवास करता है। ग्रामीण परिवेश का पूर्णतः का अध्ययन करने के पश्चात ही देश का वास्तविक विकास संभव हो सकता है। क्योंकि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती है। देश के राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत कृषि एवं इस पर आधारित उद्योगों का योगदान है। ग्रामीण परिवेश में अधिकतर ग्रामीण या तो लघु या सीमांत कृषक हैं या फिर भूमिहीन मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह वास्तविक है कि ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं। भारत के ग्रामीण विकास के लक्ष्य की परिभाषा ग्रामीण विकास के संदर्भ के बिना कदापि नहीं की जा सकती है। देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास से ही संभव है। गांवों के विकसित हुए बिना विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गांवों का विकास स्वतंत्रता के बाद चुनौती पूर्ण रहा है। योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए हैं, और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गांव के विकास के तथ्यों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया कि व्यापक सचेत और सक्रिय जन सहभागिता ही ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता का आधार बन सकती है। आजादी के बाद में लगातार अनुभव किया गया, कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जन सहभागिता को सुरक्षित करने का सबल संस्थागत माध्यम सिद्ध हो सकती हैं।

पंचायती राज का अर्थ उस व्यवस्था से है, जहां गांवों के लोगों को गांव का प्रशासन इच्छा और जरूरतों के अनुसार करने का अधिकार होता है। पंचायतों के माध्यम से गांवों के लोग खुद अपना निर्णय करते हैं, कि उनकी जरूरतें कैसे पूरी हो और प्रशासन किस तरह का हो। देश के स्वतंत्र होने पर हमारे संविधान निर्माताओं ने पंचायतों के महत्व को समझा और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद–40 में ग्रामीण स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायतें स्थापित करने की व्यवस्था की। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1969 से देश के बहुत से राज्यों में ग्राम पंचायतें स्थापित किए गए। वर्तमान में देश के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। संविधान के 73वें संशोधन 1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण दिया गया था। वर्तमान समय में महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था को कई राज्यों में इस सीमा को बढ़ाकर

Scanned with OKEN Scanner

50 प्रतिशत कर दिया गया है।

यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी सक्रिय रूप से बढ़ गई है। वर्तमान समय में महिलाओं को 50 प्रतिशत भागीदारी मिलने के बाद ग्रामीण विकास का मार्ग और प्रशस्त हुआ है। उपेक्षा की शिकार महिलाओं को अब समाज में सम्मान मिलने लगा है। नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामान्य प्रथा यह है कि पुरुष घर के बाहर का कार्य करता है और महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां निभाती है। यहां पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका की बात करें तो सच्चाई यही है, कि सदियों से दमन, उत्पीड़न, अज्ञानता और शिक्षा से ग्रसित महिलाओं को आज भी समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं है। उन्हें यौन भेद से उबरने नहीं दिया जाता है, और वर्तमान मशीनीकरण के युग में भी उनका कई प्रकार से शोषण किया जा रहा है। सरकार ने खासकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को ऐसे प्रमुख घटक के रूप में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक 2005, पंचायती राज अधिनियम 1932 स्थानीय स्वशासन में समान अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण सेवा का परिचय दिया है। फिर भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण वर्षों से दिया गया है। लेकिन बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था निर्धारित किया। इसके बाद से बिहार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है।

किसी भी देश या राज्य के समग्र विकास के लिए महिला एवं पुरुष दोनों का समान गति से निर्बाध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है, अतः सामाजिक–आर्थिक विकास महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना पूरी करना संभव नहीं है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा कि यदि देश का विकास करना है तो सर्वप्रथम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना होगा, महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा और समाज का विकास ही देश का विकास है। यही नहीं महिलाओं को सशक्त अधिकार संपन्न और जागरूक बनाने हेतु देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्ट तथा इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाए जाने के पश्चात सरकार ने महिला विकास हेतु विशेष प्रयास किए। यही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश की पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी। निस्संदेह रूप से महिलाओं को जागरूक, अधिकार युक्त व शक्ति संपन्न बनाने के दृष्टिकोण से यह एक क्रांतिकारी एवं महत्वपूर्ण कदम है। इसी क्रम में सरकार ने 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मना कर महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया।

ग्रामीण महिलाओं की बड़ी आबादी कृषि और उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार में शामिल है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं संगठित क्षेत्रों में काम करती है जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण इत्यादि। इसका एक प्रमुख कारण है, शिक्षा की कमी एवं आर्थिक तंगी। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त और

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

समानता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग– 1996 ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लि शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट 1995 में स्पष्ट किया गया कि दुनि के निर्धन देशों में महिलाएं एवं बालिकाएं घर की चारदीवारी में बंद हैं, और अशिक्षित मां, अशिक्षित बालिका को जन्म देती है, और उनकी शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनंत चक्र प्रारंभ होता है। महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव 1 दिन में ही नहीं बदला जा सकता है, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो है। वास्तव में हमारे गांव समाज में सामाजिक क्रियाकलापों से लेकर राज्य व्यवस्था तक के कार्यों में महिला का हस्तक्षेप निश्चित रूप से बढ़ा है। वर्तमान में महिलाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है वे विकास के पर अग्रसर हैं, लगभग हर क्षेत्र में वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। वे पुरुषों के सम ही कड़ी मेहनत से काम करती हैं फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन एवं पारिश्रमिक दिया जा है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। अधिकांश महिलाएं किसी कार्य से ही संबंधि है, इसके अतिरिक्त खनन, पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में भी लगी हुई है। उच्च पदों पर आसीन स्त्रियां तो केव गिनती की हैं।

महिला सहभागिता के पक्ष में महिलाओं के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा का स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उत्पादन, संसाधनों के लिए समान स्वामित्व, आर्थिक एवं व्यवसाय क्षेत्रों में बढ़ती हुई भागीदारी, अधिकारों ए कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, जीवन स्तर में सुधार, आत्म निर्भरता की प्राप्ति तथा आत्मसम्मान व आत्मविश्वा की प्राप्ति शामिल है। वास्तव में महिला सहभागिता केवल एक पक्ष नहीं बल्कि बहुपक्षीय अवधारणा है। जि अनदेखा करके परिवार, समाज, देश के संपूर्ण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष यह है कि समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज महिल अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुषों के कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है, और उपर्युक्त ध्यान तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे–जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है, अर्थात वह शिक्षित हु है, वैसे–वैसे सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई है तथा आत्मनिर्भर बनी है। अ महिला एवं पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का अर्थ सुचा रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रत्येक महिला में एक संभाव्य शक्ति है, उसमें नेतृत्व एवं प्रबंधन की क्षमता क अपार भंडार है। वे अपनी योग्यता तथा कार्य क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सक्षम है। दूरदृष्टि, कठि मेहनत और पक्के इरादों से महिलाएं अपने मार्ग प्रशस्त करते हुए नया इतिहास रचने के लिए तत्पर है।

संदर्भ सूची :–

1. ग्रामीण महिलाएं एवं पंचायती राज, रेखा शर्मा, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2012, पृष्ठ 113.
2. पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, अनीता मोदी, बुक एनक्लेव, जयपुर 2009, पृष्ठ संख्या 224.
3. ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूह रचना, डॉक्टर मनेरिया।
4. भारत का संविधान एक परिचय, आचार्य दुर्गादास बसु, Publication of Lexis Nexis, Gurgaon,

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

9 772395 711007

Impact Factor
7.523

ISSN : 2395-7115

जनवरी 2024

Vol.-19, Issue-1

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

36.	भारत में महिला सशक्तिकरण के नीतिगत प्रावधान	DEEPA BHARTI	187-191
37.	वैदिक और पौराणिक साहित्य में कला	राठोड निधि रमणीकभाई	192-197
38.	भारत में घरेलू संसाधन जुटाना और आर्थिक विकास	डॉ. अजयपाल सिंह	198-203
39.	दलित साहित्य की अवधारणा	राजीव कुमार यादव	204-206
40.	उत्तराखण्ड के वस्त्राभूषण	मंजीता रतूड़ी, डॉ. मेघा पुरोहित अत्रे	207-209
41.	आचार्य शंकरदेव का रामकाव्य	अर्चना	210-213
42.	जुब्बल क्षेत्र की बोली के शब्द भंडार में संस्कृत का योगदान	रवि प्रकाश	214-217
43.	पर्यावरण और भारतीय ज्ञान परम्परा	संदीप कुमार	218-222
44.	पर्यावरण-विमर्श के संदर्भ में ज्ञानेंद्र पति की कविताएं	बिजय कुमार पधान	223-229
45.	ममता कालिया के उपन्यासों में पारिवारिक विघटन	परमार अंजलीबा हरदेवसिंह	230-233
46.	मानवीय मूल्यों के नकारात्मक पक्ष का उद्घाटन : 'यारों के यार' उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में	Dr. Sibi M M	234-237
47.	86वें संविधान संशोधन अधिनियम का उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव	रूचि शर्मा, डॉ. सत्यवीर सिंह	238-241
48.	भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक संचार में राष्ट्रीयता	हरिओम कुमार, डॉ. प्रशांत कुमार	242-246
49.	छात्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका	मंजू, डॉ. रेनू कंसल	247-250
50.	हिंदी भाषा : भारत का स्वाभिमान	डॉ. दुर्गेश कुमार शर्मा	251-254
51.	'माधवी' : पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री जीवन की त्रासदी	डॉ. जिनु जॉन	255-258
52.	साहित्य के आलोक में किन्नर समाज बोहल शोध मंजूषा विशेषांक का अनुशीलन	डॉ. मनोज कुमार	259-264
53.	ऋग्विधाने मन्त्रसाधनाविचारः	दीपक पालीवाल	265-268
54.	प्रेम कुमार के कहानी संग्रह 'बड़े पापा प्लीज' में अभिव्यक्त संवेदना के विविध आयाम	डॉ. राजेश राव	269-273

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha
January 2024

ISSN : 2395-7115
Page No. : 187-191

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में महिला सशक्तिकरण के नीतिगत प्रावधान

DEEPA BHARTI

(NET) Ph.D Scholor

Department of Home Science, PURNEA UNIVERSITY, PURNEA (BIHAR)

महिला सशक्तिकरण दो शब्दों महिला और सशक्तिकरण से मिलकर बना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति देना या अधिकार देना। महिला सशक्तिकरण की स्थिति जिस रूप में आज हमारे समक्ष है, उसके परिणामों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हम सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के आर्थिक विकास, आजादी और उनका पुरुषों की बराबरी के अधिकार तक सिमट कर रह गए हैं और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ को भूल चुके हैं कि महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि वास्तविक समस्या से निजात पाई जा सके, ताकि जड़ों में पैदा हो चुकी इस समस्या को खुरच कर फिर से इस व्यवस्था को नूतन परिधानों से मुक्त किया जा सके। 19वीं सदी का भारतीय समाज स्त्रियों के प्रति अत्यंत अनुदार रहा। सती प्रथा, बहुविवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति आदि कुरीतियों से स्त्रियों के प्रति समाज के संकुचित दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देते हैं। कालांतर में पाश्चात्य प्रभाव तथा अंग्रेजी शिक्षा के कारण समाज में भी परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समाज में मध्ययुग से ही स्त्री शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। केवल धनी–मानी घर की लड़कियां विवाह से पहले थोड़ा बहुत पढ़ना–लिखना सीख लेती थी। छोटी अवस्था में विवाह कर देने की प्रथा होने के कारण भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए उपयुक्त अवसर तथा समय नहीं रह पाता था।

औपचारिक व अनौपचारिक क्षितिज पर दलित महिला सशक्तिकरण के कई सारे प्रयास हुए, बुराइयों को खत्म करने व समानता लाने के लिए संवैधानिक प्रावधान से किए गए, किंतु इस सबके बावजूद हम इस सत्य को नहीं नकार सके, की महिला और पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिए पूरकता के स्वरूप में साथ चलने के स्थान पर विपरीत दिशा में गति करने लगे। इस खिंचाव ने जो दूरियां जो खाई पैदा की उसकी भरपाई करना संभव नहीं है।

नारी की सुदृढ़ित एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध व मजबूत समाज का घोतक है। प्राचीन धर्मग्रंथो में "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तंत्र देवता" सूत्र वाक्य द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारत में जहां एक ओर लक्ष्मी, सीता, दुर्गा एवं पार्वती के रूप में नारी को देवतुल्य बताया जाता है, वही उसे अबला बताकर परंपरा एवं रूढ़ियों की बेड़ियों से भी जकरा जाता रहा है। यद्यपि यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नई अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के कारण महिलाओं की

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ात्मक सुधार हुआ है और इसी के कारण आज देश की आर्थिक गतिविधियों में नारी की सहभागिता
ह दिखाई दे रही है। जाहिर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हीं भारत में महिला उत्थान के लिए
कारों ने कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। यही नहीं महिला सशक्तिकरण को
े लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया तथा विधायिका और संसद में देने का प्रस्ताव विचाराध
नहीं अनेक राज्यों में सिविल सेवाओं में भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान करके महिला सशक्तिकरण
ेया गया है, परंतु इसके बावजूद आज भी महिलाएं एक उपयोग की वस्तु ही समझी जाती है। इसके
कार्यक्रम या योजना बनाने से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि इन योजनाओं के
न पर ध्यान देने के साथ–साथ सामाजिक संचेतना तथा जागरूकता लानी होगी।

2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य यद्यपि जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त
धापि नीति में घोषित कई बातें महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस नीति
ुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क करना।

मिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत दर को कम
ना।

ु मृत्यु दर को प्रति एक लाख पर से 100 से कम पर लाना।

ों को सभी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को वृहद स्तर पर चलाकर लक्ष्य को
त करना।

ड़कियों के विवाह के लिए आयु को बढ़ाना।

वर्ष से अधिक की आयु में विवाह हेतु प्रोत्साहित करना।

म, मृत्यू, विवाह एवं गर्भधारण करने वाली महिलाओं का पंजीकरण 100 प्रतिशत तक करना।

टे परिवार की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

ेवार कल्यांण से संबंधित सभी उपायों को सरकारी स्तर के साथ–साथ सामाजिक स्तर पर भी लाना।

हिला सशक्तिकरण नीति 2001 :–

हेला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम 2001 में महिला सशक्तिकरण
घोषणा के साथ उठाया गया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान तथा सशक्तिकरण के
नीति में कई दिशा–निर्देश तथा मानक तय किए गए। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित

श में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करना
था सभी प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में उन्हें शामिल करना।

हिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित माहौल बनाना तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,
ांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से उन्हें भागीदार बनाना।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

- महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाना जिससे उन्हें अनुभव हो सके कि वह देश की आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में भागीदार हैं।
- महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित नियमों, निर्देशों व सभी कानूनों का निर्माण करना।
- महिलाओं के सामाजिक अधिकार को स्थापित करने हेतु प्रयास करना।
- आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना तथा आर्थिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 को देश में पूरी तरह से लागू करने हेतु 10 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला बाल विकास :-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला नीति 2016 का मसौदा जारी कर दिया है, जिस समाज के लोगों को विशेषता महिलाओं के विचारों से अवगत कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि 15 वर्षों के बाद इस नीति की समीक्षा की जा रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है, कि इस नीति से आगामी 15–20 वर्षों के दौरान महिला संबंधीय मुद्दों पर सरकार के कार्यवाही को दिशा–निर्देश प्राप्त होगा। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के बाद अब तक स्थिति में बहुत बदलाव आ गया है, विशेषकर महिलाओं की अपने प्रति जागरूकता और जीवन से उनकी आकांक्षाएं उसमें शामिल हो गए हैं। इसे ध्यान में रखकर नीति का नया मसौदा तैयार किया गया है। इस नीति के प्रमुख प्राथमिकताएं निम्न है :–

- **खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सहित स्वास्थ्य :-** इसके तहत महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर फोकस किया गया है, और परिवार नियोजन योजनाओं के दायरे में पुरुषों को भी रखा गया है। इसके तहत महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं को हल किया जाएगा और उनके कल्याण को ध्यान में रखा जाएगा। इसके तहत किशोरावस्था के दौरान पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं इत्यादि को भी शामिल किया गया है।
- **शिक्षा :-** इसके अंतर्गत किशोरावस्था वाली लड़कियों की प्राथमिक पूर्व शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि वे स्कूलों में पंजीकरण कर सके और उनकी शिक्षा की निरंतरता बनी रहे। इसके अंतर्गत लड़कियों के स्कूल तक पहुंचाने के लिए सुगम में बनाया जाएगा और असमानताओं को दूर किया जाएगा।
- **आर्थिक उपाय :-** इसके तहत महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत व्यापार समझो तो और भूस्वामित्व के डेटाबेस को महिलाओं के अनुकूल बनाया जाएगा, श्रम कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना, नेतृत्व एवं बच्चों की देखभाल संबंधी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उचित लाभ प्रदान करना, समान रोजगार अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।
- **शासन एवं निर्णय करने में महिलाओं की भूमिका :-** इसके तहत राजनीति, प्रशासन, लोक सेवा एवं कारपोरेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना शामिल है।

Scanned with OKEN Scanner

महिलाओं के खिलाफ हिंसा :- नियमों एवं कानूनों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा
ना, इसके लिए प्रभावशाली नियम बनाना और उनकी समीक्षा करना, बाल लिंग अनुपात को सुधारना,
विदेशों इत्यादि को कराई से लागू करना मानव तस्करी को रोकना इत्यादि शामिल है।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन :- जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के नुकसान से होने वाले प्राकृतिक
के समय होने वाले पलायन के दौरान लैंगिक समस्याओं को दूर करने को इसमें शामिल किया गया है।
घरों में महिलाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल, नवीन ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, हरित ऊर्जा संसाधनों को
त देना शामिल है। इसके अलावा इस नीति के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना
के प्रावधानों के साथ व्यक्तिगत एवं पारंपरिक नियमों की समीक्षा करने का भी प्रावधान है। वैवाहिक
को अपराध की श्रेणी में रखने की भी समीक्षा की जाएगी ताकि महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा हो

महिलाओं की सुरक्षा :- वनस्टॉप केंद्र, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयंसेवक, पुलिस बलों में अधिकारों
आरक्षण, मोबाइल फोन पैनिक बटन के जरिए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, यातायात और आम
पर निगरानी प्रणाली पर स्थापित करना।

महिलाओं में उद्यमशीलता के संबंध के लिए एक प्रणाली बनाना :- महिलाई–हाट, समर्पित विषय वस्तु
प्रदर्शनियों के जरिए महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, महिला उद्यमशीलता के जरिए महिलाओं
ाह देना तथा आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।

सभी हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण :- इसमें जेंडर कैंपियन पहल के जरिए युवाओं,
ं, महिला सरपंचों और महिला संबंधी भी अधिकारियों को शामिल किया गया है।

कार्यस्थलों में महिलाओं को सुविधा :- कार्य स्थलों को महिलाओं के अनुकूल बनाने, कार्य विधि को
बनाने, मातृत्व अवकाश को बढ़ाने, कार्य स्थलों में बच्चों के लिए क्रेच का प्रावधान करने के जरिए
ों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

:-

र्तमान में भारत सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध नजर आ
सरकार शुरू किए गए स्टैंडअप कार्यक्रम भी महिलाओं के सहभागिता को बढ़ावा देने तथा महिला उद्यमी
रने पर बल दे रही है। यही नहीं कॉरपोरेट सेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में महिला डायरेक्टर को
त करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि नीति क्षेत्र की कंपनियों में इसका अनुपालन किया जा रहा
सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों ने अभी महिला डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं की है। इससे स्पष्ट
कि सरकार नीतिगत प्रावधान को सृजित करती है, परंतु उसको लागू करने के लिए उसके पास इच्छा
ी कमी है।

अतः समय की मांग है कि संतुलन को बनाए रखने के लिए हमको विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया जाए
नके साथ होने वाले लिङ्गीय भेदभाव को समाप्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आईएमएफ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(IMF) के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कार्य स्थलों पर लिङ्गीय अंतराल उत्पन्न हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और हमें इसे एक साथ मिलकर ही दूर करने का प्रयास करना होगा, तभी हम महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी बातों को जमीनी स्तर पर उतार सकेंगे।

संदर्भ- सूची :-

1. सुधीर वर्मा, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आलेख परिवर्तन, जयपुर 1992, पृ. 09.
2. नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली 1982, पृ. 1–6.
3. आशा रानी बोहरा, भारतीय नारी दशा व दिशा, नई दिल्ली 1983.
4. प्रो. कमला प्रसाद स्व. राजेंद्र शर्मा, स्त्री मुक्ति का सपना, वाणी प्रकाशन,दिल्ली, 2009, पृ. 43
5. सरस्वती मिस्त्री, भारतीय स्त्रियों की स्थिति, शारदा पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996.

Mob. - 8873525662

E mail- deepa4bharti90@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner